रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 12 ● कानपुर 16 से 30 जून 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

हर राज्य सरकार को करना चाहिये

21 जून, 2011 के आदेश का पालन

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की

मान्यता का मार्ग

उ0प्र0 से ही होकर जा रहा है

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 25–11–2003 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आदेश किया था जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं की जा सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसको लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याखित किया, तब लोगों ने समझ लिया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता समाप्त हो गयी है, इस आदेश पर भारत सरकार ने 05–05–2010 को स्पष्टीकरण दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, बशर्ते यह 25–11–2003 के अनुसार की जाये, इस आदेश के बाद भी संशय बना हुआ था तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने पहल की जिसके फलस्वरूप भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने दिनांक 21 जून, 2011 को एक स्पष्ट आदेश जारी करते हुए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि 25–11–2003 एवं 5–5–2010 के आदेश को भारत सरकार का निर्देश माना जाये, भारत सरकार के इस आदेश का अनुपालन करते हुए उ0प्र0 राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में दिनांक 04 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किया जिसमें उल्लेख किया कि –

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 एवं 5–5–2010 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्यापैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, पंजीकरण, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि.....

" तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जब तक कि यह दिनांक 25–11–03 के आदेश संख्या आर–14015/25/96 यू0 एण्ड एच0 (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो, मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि राज्य सरकार पहले ही मान चुकी है कि मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा, आपको यह भी बताना अनुचित न होगा कि इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा क्रमशः दिनांक 02 सितम्बर, 2013 एवं 14–3–2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं, इस आदेश में राज्य सरकार ने पुनः स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में वह केन्द्र सरकार के आदेश का पालन करेगी जैसा कि उसने 21 जून, 2011 के आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश के क्रियान्वयन हेतु 04 जनवरी, 2012 का आदेश जारी किया है अर्थात राज्य सरकार पूरी तरह आश्वस्त करना चाहती है कि आप नियमानुसार कार्य करते रहें निश्चित तौर पर आपको विनियमित किया जायेगा।

राज्य सरकार के इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास का नियन्त्रण राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाना है जबकि नियमन केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा, ऐसी स्थिति में देश की समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं का दायित्व बन जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भरपूर विकास करें तथा सर्वजन को इसकी चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का यथा सम्भव प्रयास करें यदि वह ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर वह अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों को पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं।

राज्य सरकार के इस आदेश से यह भी संदेश मिलता है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा में किसी प्रकार का कोई अवरोध एवं बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं है, सरकार के इस मंतव्य से इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं को मात्र कार्य पर फोकस करना चाहिये इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके विपरीत यदि वह आदत के अनुसार पुनः कोई प्रयास करेंगे तो वह अपने आप को पीछे ही ढकेलेंगे।

अस्तु प्रदेश की ही नहीं अपितु देश की समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार एवं विकास में पूर्ण तन्मयता से लग जाना चाहिये एवं जब तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं आता है तब तक निश्चिन्त होकर कार्य करना चाहिये, इसका मंत्र राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश के माध्यम से आपको दिया जा चुका है, केन्द्र सरकार से जो भी निर्णय आयेगा वह ठीक ही होगा क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि सरकार का दृष्टिकोण 21 जून, 2011 के आदेश के अनुरूप आज भी है सम्भवतः आने वाला आदेश भी इसी प्रकार होगा, वर्तमान में माननीय न्यायालयों के आदेशों से स्पष्ट है।

आने वाला कल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा के दिशा निर्देश के रूप में 25 नवम्बर, 2003 को आदेश जारी किया गया था जिससे अनेक भ्रान्तियों ने जन्म ले लिया था इलेक्ट्रो होम्यापैथिक जगत में एक भूचाल सा आ गया था, हमारे कुछ साथी 25 नवम्बर 2003 के आदेश को समझ नहीं पाये, नतीजा यह हुआ कि कुछ साथियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि सरकार ने एक झटके में सबको बर्बाद कर दिया परन्तु बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही एक मात्र ऐसी संस्था थी जिसने लोगों को जगाने का कार्य किया और भरसक प्रयत्न किया कि जो लोग इसे समझ रहे हैं वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाला कल सुःखद व आनन्दायी होगा जो भ्रामकता हमारे साथी प्रचारित कर रहे हैं वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का हर पल, हर मोड़ पर कन्धें से कन्धा मिलाकर साथ देने वाला एक मात्र सबसे पुराना संगठन इलेक्ट्रो होम्यापैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने अपने स्तर से मंत्रालय से पत्र व्यवहार व अनेक भेंट वार्ता की अन्ततः सरकार को भी एहसास हो गया कि वास्तव में 25 नवम्बर 2003 का आदेश थोड़ा भ्रम फैला रहा है तथा इससे उत्पन्न भ्रम को स्पष्ट करने के लिए 5–5–2010 जारी किया गया, सरकार द्वारा जारी 25 नवम्बर, 2003 को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान एवं विकास का कार्य निर्बाध रूप से किया जा सकता है किन्तु सरकार द्वारा आधी अधूरी कार्यवाही होने के कारण राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्रशासनों द्वारा कार्य करने में निरन्तर बाधायें उत्पन्न की जाती रहीं जो आज भी जारी है, सरकार द्वारा वांछित आंकड़ों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थानों द्वारा सहजता से उपलब्ध कराया जा सकता है क्योंकि इसके चिकित्सक एवं चिकित्सालय पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं किन्तु स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण चिकित्सक एवं चिकित्सालय अपना कार्य समुचित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए वास्तव कुछ करना चाहती है तो उसे चाहिये कि राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित करे कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त/नामित करे जिनकी देख रेख में चिकित्सक अपना कार्य करे तथा उनके द्वारा किये कार्यों का सत्यापन हो सके इससे जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे वह स्पष्ट एवं पारदर्शी होंगे, इस कार्य में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 अपने क्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से सहर्ष योगदान देने हेतु सदैव तैयार रहता है, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इससे पूर्व भी समय समय पर शासन को इस सम्बंध में लिखता रहा है कि प्रभारी अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय को प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारी यदि अपना सहयोग दें तो इस कार्य को तीव्रता एवं सुगमता से पूर्ण किया जा सकता है, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के इस अनुरोध को जनपद चन्दौली व सहारनपुर ने स्वीकार करते हुये अपने अधीन प्रभारी उप मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने जनपद के प्रभारी अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उनके द्वारा की जा रही जाँच में अपना सहयोग करें।

शासन स्तर पर भी इस सम्बंध में कार्यवाही चल रही है, अपेक्षा है कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रभारी अधिकारियों को उनके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की जाँच करने हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग करने हेतु शासनादेश जारी किया जा सकता है।

अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी चाहिये कि वे अपनी प्रैक्टिस में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति के अतिरिक्त किसी अन्य पद्धति की औषधियों का कदापि प्रयोग न करें तथा अपने चिकित्सालय में इस प्रकार का रख–रखाव रखें कि चिकित्सालय दूर से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का दिखे, अपनी अर्हता का प्रमाण–पत्र, चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र एवं जनपदीय प्रमाण–पत्र स्पष्ट रुप से दिखे, चिकित्सालय में कोई भी ऐसा विज्ञापन न हो जिससे ड्रग्स एण्ड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का उल्लंघन होता हो।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की सेमेस्टर परीक्षायें 26 जून से प्रारम्भ

लखनऊ– बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की जून सेमेस्टर की परीक्षायें इस माह 26 जून से प्रारम्भ होंगी जो 28 जून, 2024 तक चलेंगी, सभी परीक्षायें एक पाली में होगी, इसके लिये व्यापक स्तर पर व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है, 18 जून, 2024 से सभी केन्द्रों पर परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र उपलब्ध हो जायेंगे अभ्यार्थी अपने अपने प्रवेश–पत्र सम्बंधित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट/इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट/ स्टडी सेन्टर्स से प्राप्त कर सकते हैं, यह जानकारी बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने एक विज्ञप्ति में गज़ट को दी, डा0 अहमद ने बताया कि समस्त केन्द्र व्यवस्थापक प्रवेश पत्रों को अपने रिकार्ड से मिलान कर लें,यदि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो कार्यालय रजिस्ट्रार के नम्बर पर सूचित करें, यदि मौखिक परीक्षा आपके केन्द्र द्वारा करायी गयी हो तो अंक चिटें + मौखिक उपस्थिति प्रपत्र उत्तर पुस्तिकाओं के साथ प्रेषित करें, कोई भी अभ्यार्थी नाम से परीक्षा नहीं देगा यदि ऐसा पाया गया तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा और न ही उसका कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

परीक्षा कार्यक्रम निम्न प्रकार है।

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION JUNE 2024

Name of the course	26th June, 2024 Wednesday	27th June, 2024 Thursday	28th June, 2024 Friday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy & Philosophy	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science
F.M.E.H. 3rd. Semester	Ophthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynecology	Materia Medica	Practice of Medicine

Timing → 8:00 A.M. to 11:00 A.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

निः शुल्क चिकित्सा शिविरों का कार्यक्रम 2025 तक बढ़ा

अमौली जिला फतेहपुर में निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन डा0 देवानंद द्वारा किया गया यह शिविर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित है, निःशुल्क शिविर लगाने के लिए बोर्ड ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां उपलब्ध करायी है, ई0एच0 डा0 रश्मी प्रभारी अधिकारी जिला कानपुर देहात ने अत्यधिक गर्मी होने के कारण मरीजों तथा अन्य लोगों को पेड़–पौधे लगाने की सलाह दी और बताया कि इस चिकित्सा पद्धति की दवाईयां अभी तक किसी भी मरीज को कोई नुकसानदेह साबित नही हुयी है, बल्कि फायदा ही हुआ है इस कैंप में अधिकतर महिलाएं अपने निजी समस्याओं को लेकर परामर्श लेने आयी जिन्हें देखने के बाद डा0 रश्मि ने उचित सलाह तथा उचित दवाईयां दीं, डा0 विपाशा ने अत्यधिक गर्मी होने के कारण पेय पदार्थों का अत्यधिक उपयोग करने की सलाह दी, चाय व काफी कम मात्रा में उपयोग करने तथा तेज धूप में बाहर न निकलने की सलाह दी।

इस कैंप में महिला रोगी 20, पुरूष रोगी 23 एवं बच्चे 08 कुल 51 रोगी कैंप में आए, स्थानीय लोगों के सहयोग से सतत् प्रयास जारी रहेगें, ई0एच0 डा0 वकील अहमद प्रभारी अधिकारी जनपद फतेहपुर ने डा0 देवानंद व उनके सहयोगियों को समाज की सेवा में निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

आने वाला समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये उजज्वल होगा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स कर बनें सफ़ल चिकित्सक – रजिस्ट्रार

जब छात्र/छात्राएं माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेते हैं तो उनमें से अधिकांश अपने भविष्य के बारे में चिन्तित होते हैं, सबसे पहले 12वीं के बाद स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम कोर्स चुनना शुरू कर देते हैं, कुछ छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के लिए सही कोर्स के बारे में जानकारी होती है लेकिन कुछ छात्रों को यह पता ही नहीं होता है कि उनके कैरियर के लिए अच्छा कोर्स कौन सा हो सकता है, जो कुछ भी चयन किया जाये वह रूचि और जुनून के अनुसार होना चाहिये, प्रदेश में अनेक कोर्स प्रचलित हैं और छात्र/छात्रायें अपनी इच्छानुसार कोर्स का चयन कर मंजिल पाने का प्रयास करते हैं हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप 12वीं उत्तीर्ण हैं और आप मेडिकल लाइन में जाकर गरीबों और जरूरतमन्दों की सेवा करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक बनकर गरीबों तथा जरूरतमन्दों की सेवा कर सकते हैं, यह कोर्स सरल और सस्ता है जो आसानी से किया जा सकता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक चिकित्सा पद्धति है जो विष रहित, हानि रहित तथा वनस्पति जगत पर आधारित सस्ती एवं सम्पूर्ण रोगों पर त्वरित कार्य करने वाली विधा है, यह बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने ही स्वीकार किया जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू के आवाहन पर प्रदेश सरकार ने निरीक्षण तथा परीक्षण कर सन् 1953 में एक अर्धशासकीय पत्र जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रास्ता आसान किया, 1953 के इस पत्र में प्रदेश शासन ने प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा इलाज होने की बात स्वीकारी तथा अन्य स्थापित चिकित्सा पद्धतियों के

साथ–साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी विकास की ओर अग्रसर हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 4 जनवरी, 2012 को प्रदेश की एक मात्र विधि सम्मत संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में एक शासनादेश जारी कर इस संस्था को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास करने के लिए अधिकृत किया है।

उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने क्रमशः 02 सितम्बर, 2013 एंव 14 मार्च, 2016 को प्रदेश के समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को आदेशित किया कि वे इस आदेश का परिचालन शासकीय निर्देशों के अनुसार अपने अपने मण्डलों में करायें अर्थात आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स पूर्ण कर बेधड़क प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, परन्तु यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रदेश में कौन सी वह संस्था है जिसे प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है और उसके पक्ष में आदेश जारी किया है आप उसी संस्था से कोर्स करें यह जानकारी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने एक गोष्ठी में दी।

डा0 अहमद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण की दिशा में बड़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है और सम्भव है कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिये जायें, सरकार द्वारा निरन्तर बैठकें की जा रही हैं बहुत जल्द ही इन बैठकों के परिणाम सामने दिखायी देने लगेंगे इसलिए इस कोर्स को करके आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनकर स्वरोज़गार के साथ–साथ जनसेवा करने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Certificate in Electro Homoeopathy	C.E.H.	10th. Standard or Equivalent	2 Years
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	RegisteredPractitioner in any Branch or Equivalent	1 Semester
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years

स्टडी /गाइडेन्स सेन्टर स्थापनार्थ हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित हैं

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014

email: registrarbehmup@gmail.com

List of Medical Institutes/Institute

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
1	01	Ashish Electro Homoeopathic Medical Institute	RAIBARELY	EH Dr. P. N. Kushwaha 9415177119
2	03	Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute	LUCKNOW	Dr. Ashutosh Kapoor 7007592773 , 9125720111
3	05	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Institute	JAUNPUR	EH Dr. P. K. Maurya 9451162709
4	06	Maa Sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	LAKHIMPUR	EH Dr. R.K. Sharma 9454236971
5	11	Chand Par Electro Homoeopathic Medical Institute	AZAMGARH	EH Dr. Mushtaq Ahmad 9415358163
6	13	Azad Electro Homoeopathic Medical Institute, Kintoor	BARABANKI	EH Dr. Habib-ur-Rehman 8574239344
7	15	Electro Homoeopathic Medical Institute	SHAHJAHANPUR	EH Dr. Ammar-Bin-Sabir 9336034277
8	16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Institute	Shahganj JAUNPUR	EH Dr. S. N. Rai 9450088327
9	17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	SIDDHARTH NAGAR	Dr.Ved Prakash Srivastav 9936022029

List of Study Centres

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
10	51	Fatehpur E.H. Study Centre	FATEHPUR	EH Dr. Vakeel Ahmad 8115210751
11	52	Deoria E.H. Study Centre	DEORIA	EH Dr. P. K. Srivastav 9415826491
12	53	Bahraich E.H. Study Centre	BAHRAICH	Dr. Bhoop Raj. Srivastav 9451786214
13	54	Unnao E.H. Study Centre	UNNAO	EH Dr. Gaurav Dwivedi 9935332052
14	55	Walidpur E.H. Study Centre	Walidpur MAU	EH Dr. Ayaz Ahmad 9305963908
15	56	Aarti E.H. Study Centre	JALAUN	EH Dr. Gaya Prasad 8874429538
16	57	B.K. E.H. Study Centre	HAMIRPUR (U.P.)	EH Dr. N.B.Nigam 7007352458
17	58	Electro Homoeopathic Study Centre	Hasanganj UNNAO	Hakim Mohd. Rashid Hayat 9005680843
18	59	Sirsaganj E.H. Study Centre	Sirsaganj FIROZABAD	EH Dr. Mohd. Israr Khan 9634503421
19	60	Etawah E.H. Study Centre	ETAWAH	EH Dr. Mohd. Akhlak Khan 7417775346
20	61	Firozabad E.H. Study Centre	FIROZABAD	EH Dr. Shiv Kumar Pal 9027342885
21	62	D.L.M.M. Study Centre of E.H.	MAHARAJGANJ	EH Dr. Prince Srivasta 7398941680
22	63	Kushwaha E.H. Study Centre	KANPUR	EH Dr. Ram Autar Kushwaha 9793264649

AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Sr.	Code	Head of Centre	Address	District
23	81	EH Dr. Devendra Singh Mobile No 9818120565	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090
24	82	EH Dr. Abdul Rahman Khan Mobile No 8000241542	12/1891 Ground Floor, Shop No: 3, Honey Park Apartment, Saiyed Wada, Shahpore	SURAT-395003

LIST OF AUTHRISED EXAMINATION CENTRES

Sr.	Code	Name of Examination Centre	Address	Name of Supdt. & Mobile No.
25	91	Khurja E.H. Examination Centre	Kurja , BULAND SHAHAR	EH Dr. P. K. Raghav 7505186156
26	92	E.H. Examination Centre,Moradabad	MORADABAD	EH Dr. S.K. Saxena 8171869605
27	94	E.H. Examination Centre	B.E.H.M.UP. KANPUR	Registrar B.H.M.U.P 0512-2970704

Registrar
B.E.H.M.,U.P.

बी० ई० एच० एम० के लिए डा० अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया, इस अंक में प्रकाशित सामग्री के विवाद के सम्बंध में पी०आर०बी० एक्ट के अन्तरगत प्रकाशक उत्तरदायी होगा।